

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226206
CG-DL-E-27032021-226206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1278]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1278]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1382(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के

खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नई प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग

के किमी 0 से किमी 36.065 (चिल्लाकुर क्रॉस रोड से तुर्पू कनुपुर तक (पैकेज-II के पार्ट-I) और तुर्पू कनुपुर से पोर्ट सौत गेट

तक (पैकेज-II के पार्ट-II) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने,

आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस

अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-नई प्रस्तावित (चिल्लाकुर क्रॉस रोड से तुरपु कनुपुर तक (पैकेज-II के पार्ट-I) और तुरपु कनुपुर से पोर्ट सौत गेट तक (पैकेज-II के पार्ट-II)) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर गुदुर/आरदीवो गुदुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 0 से 36.065 तक	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नेल्लोर	चिल्लाकर	1 चिल्लाकर (पार्ट)
						2 मुत्यालापाडु (रूरल)
						3 ठीककवाराम
						4 उदथवरिपर्लापल्ले
						5 योगेस्वारूनीपल्ले
						6 कलावा कोंडा
						7 अन्कुलपातुरु
						8 चिंतावरम
						9 मोमिडि
						10 थंमीनपटनम
						11 तुरपु कानपुर
						12 अड्डेपल्ले
						13 उदथवरिपलेम

[फा. सं. NHAI/Nellore/LA/Sagaramala/P-2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1382(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 36.065 of the Newly Proposed National Highway from Chillakur Cross road to Turpu Kanupur (part-1 of package-II) and Turpu Kanpur to Port South Gate (part 2 of package-II) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Newly Proposed from Chillakur Cross road to Turpu Kanupur (part-1 of package-II) and Turpu Kanpur to Port South Gate (part 2 of package-II) in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Collector Gudur/RDO Gudur	0KM To 36.065KM	ANDHRA PRADESH	SPSR Nellore	Chillakur	1	Chillakur (Part)
						2	Mutyalapadu (Rural)
						3	Thikkavaram
						4	Udathavariparlapalle
						5	Yogeswarunipalle
						6	Kalava Konda
						7	Ankulapaturu
						8	Chinthavaram
						9	Momidi
						10	Thamminapatnam
						11	Turpu Kanupur
						12	Addepalle
						13	Udathavaripalem

[F. No. NHAI/Nellore/LA/Sagaramala/P-2]

RAJESH GUPTA, Director